छत्तीसढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

12 FEB 2015

क्रमांक एफ–4–43/सात–1/2013 रायपुर, दिनांक जनवरी 2015

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ ।

विषयः– नजूल भूमि का नवीनीकरण तथा पट्टा आबंटन प्रक्रिया का सरलीकरण ।

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 6–286/सात/ नजूल/93, भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 1994 तथा छत्तीसगढ शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–4–52/ सात–2/2008, रायपुर, दिनांक 15/12/2008 के माध्यम से नजूल भूमि के स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के अधिकार संभागीय मुख्यालय के नगरों में संभागीय आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से जिला कलेक्टर को तथा अन्य नगरों में जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है, इसके बाद भी यह देखा जा रहा है, कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नजूल पट्टों के नवीनीकरण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रही है । इससे जहां एक ओर नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि का अभिलेख अद्यतन नहीं हो पा रहे है, वहीं दूसरी ओर नजूल पट्टा नवीनीकरण आदि से प्रीमियम तथा वार्षिक भू–भाटक के रूप में शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व की हानि हो रही है । अतः राज्य शासन द्वारा नजूल भूमि के स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा पट्टा आबंटन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों की निरंतरता में निम्नानुसार निर्णय लिया हैः–

(1) नजूल भूमि के स्थाई पट्टों का नवीनीकरणः–

1.1. ऐसे मामले, जिसमें पट्टा अवधि समाप्त हो गई हो तथा पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग किया जा रहा होः–

नजूल पट्टा नवीनीकरण के ऐसे मामले, जिसमें पट्टा की अवधि समाप्त हो गई हो, पट्टेदार के द्वारा पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा पट्टेदार के द्वारा भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, जिस प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का स्थाई पट्टा प्रदाय किया गया हो, वहां स्थाई पट्टा का नवीनीकरण पिछले निर्धारित भू–भाटक का 6 गुणा अथवा प्रचलित प्रमाणिक दर, इनमें से जो भी अधिक हो, दर पर पट्टा अवधि समाप्त होने